

प्रेस नोट थाना गीडा जनपद गोरखपुर दिनांक 21.03.2025

गैंग बनाकर गो-तस्करी करने वाले गिरोह के 04 अपराधियों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गीडा द्वारा गैंग लीडर सिद्धू उर्फ सीटू उर्फ वाशिद व गैंग के 03 अन्य सदस्यों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उक्त गैंग का लीडर सिद्धू उर्फ सीटू उर्फ वाशिद उपरोक्त द्वारा अपने गिरोह के 03 अन्य सदस्यों 1. सलीम पुत्र मकबूल 2. कमलू व 3. इस्तखार शाह उर्फ बांके के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर गो-तस्करी जैसे गम्भीर अपराध कारित करते रहते हैं। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्यों का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं गो-तस्करी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर सिद्धू उर्फ सीटू उर्फ वाशिद व गिरोह के अन्य 03 सदस्यों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 158/2025 धारा 2(ख)(XI),(XVII) व 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया।

अपराध का विवरण-

दिनांक 04.04.2024 को अभियुक्तगण द्वारा गैंग बनाकर एक ट्रक से 30 राशि गोवंश को अवैध तरीके से सहजनवां से कुशीनगर होते हुए बिहार राज्य ले जाया जा रहा था। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 142/2024 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्तों का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

1. सिद्धू उर्फ सीटू उर्फ वाशिद पुत्र खलील निवासी मोहल्ला कुरेशियन बघारा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर
 - i. मु0अ0सं0 142/2024 धारा 3/5ए/8 गौ वध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गीडा जनपद गोरखपुर

- ii. मु0अ0सं0 110/2023 धारा 3/5ए/8 गौ वध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 307 IPC व 3/25 आर्म एक्ट थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- iii. मु0अ0सं0 278/2023 धारा 3(1) गैगेस्टर अधि0 थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

2. सलीम पुत्र मकबूल निवासी बंजारनपुरवा महरुमूर्तिहा पूर्व थाना हरदत्तनगर गिरन्ट जनपद श्रावस्ती

- i. मु0अ0सं0 142/2024 धारा 3/5ए/8 गौ वध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गीडा जनपद गोरखपुर
- ii. मु0अ0सं0 1611/2014 धारा 323,504,506 IPC थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती

3. कमलू पुत्र हजारी निवासी बंजारनपुरवा महरुमूर्तिहा पूर्व थाना हरदत्तनगर गिरन्ट जनपद श्रावस्ती

- i. मु0अ0सं0 142/2024 धारा 3/5ए/8 गौ वध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गीडा जनपद गोरखपुर
- ii. मु0अ0सं0 0010/2004 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती
- iii. मु0अ0सं0 0089/2021 धारा 147,148,323,324,354(ख),392,436,452,506 IPC थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती

4. इस्तखार शाह उर्फ बांके पुत्र अब्दुल मजीद निवासी मियांगज मनियारपुर थाना बन्धुआ कला जनपद सुल्तानपुर

- i. मु0अ0सं0 142/2024 धारा 3/5ए/8 गौ वध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गीडा जनपद गोरखपुर